

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), जयपुरा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.स	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग.
1.	श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी स्व. श्री सुरेन्द्र सिंह दी शिवा कॉ-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. योजना 6डी इंजीनियर्स कॉलोनी	एफ-34	416.66
2.	श्रीमती प्रकाश सीरवी पत्नी श्री हजारी राम सीरवी आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना परवाना विहार	48	311.11
3.	श्री सुरेश सैनी पुत्र श्री रामानन्द सैनी बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	34	216.00

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.03.22 के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

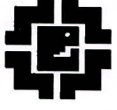
उपायुक्त
पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जयपुरा

जन संपर्क अधिकारी
जयपुरा, जयपुरा

यू.ओ.नोट क्रमांक: जयपुरा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी-

976/25.05.2022

PRD-R-494
20/4/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.स	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग.
1.	श्री कैलाश चन्द एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र पुत्रान् श्री गोपाल लाल सूरजपोल गेट गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना गोविन्द नगर	15	125.66

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.03.22 के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

उपायुक्त

पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जयपुरा

जन संपर्क अधिकारी

जयपुरा, जयपुरा

यू.ओ.नोट क्रमांक: जयपुरा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी- 991/ 27.05-2022



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.स	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग.
1.	श्रीमती पारूल गोयल पत्नी श्री सुनील कुमार गोयल सूरजपोल गेट गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना गोविन्द नगर	30	216.66
2.	श्री राजू लाल शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना श्याम वाटिका	ए-84ए	111.11
3.	श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी स्व. श्री सुरेन्द्र सिंह दी शिवा कॉ आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. योजना 6डी इंजीनियर्स कॉलोनी	एफ-34	416.66
4.	श्री नवल किशोर मोदानी पुत्र श्री गौरी शंकर मोदानी दी फॉरेस्ट व्यू हाउसिंग को आपरेटिव सोसायटी लि. योजना धर्म नगर	पुराना 28 नया 20 व 20ए	500.00

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.03.22 के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

उपायुक्त
पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी- 979

दिनांक - 25/05/2022



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.स	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग.
1.	श्री गजेन्द्र सिंह कछवाहा जरिये प्राकृतिक संरक्षक सुमित कछवाहा पुत्र स्व. श्री ज्योति स्वरूप कछवाहा दी शिवा कॉ आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. योजना 6डी इंजीनियर्स कॉलोनी	एफ-97	600.00
2.	श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री जय कुमार कुमावत बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	49	216.66
3.	श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी श्री सीताराम बुनकर बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	29	151.665

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.03.22 के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

उपायुक्त

पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जयपुरा

जन संपर्क अधिकारी

जयपुरा, जयपुरा

यू.ओ.नोट क्रमांक: जयपुरा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी-

990/27.05.2022



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-6/22/डी-1589

दिनांक: 28/5/22

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुश्री रमण देवी पुत्री स्व. श्री ललित किशोर शर्मा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर ग्राम चरणनदी तह0 जयपुर के खसरा नम्बर 41 में स्थित निजी खातेदारी के भूखण्ड के नियमन बाबत पत्रावली प्रस्तुत की गई है।

इस बाबत किसी भी व्यक्ति/संस्था/सह खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो, तो सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि में अपने स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज सहित आपत्ति उपायुक्त जोन-06, जेडीए, जयपुर के कार्यालय में पेश कर सकते हैं। नियत अवधि तक कोई आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

-54-
उपायुक्त जोन-6
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को सूचित किया जाता है कि ग्राम चरणनदी तह0 जयपुर के खसरा नम्बर 41 में स्थित निजी खातेदारी के भूखण्ड के नियमन बाबत उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवाकर समाचार पत्र की मूल प्रति जोन कार्यालय में प्रस्तुत करे।

4
उपायुक्त जोन-6
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2570256.) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल : (rajasthan.gov.in)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 3052

दिनांक- 26-5-2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	9/ई/551	12.50 व.मी.	रिंग रोड	श्री भगवान सहाय एवं श्री राजू लाल मीणा पुत्रान स्व. श्री गोपाल	श्री गोपाल पुत्र श्री रामदेव	मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-9
जयपुर

प्रतिलिपी-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावे।

उपायुक्त जोन-9
जयपुर

प्रो-र
30/5/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 5068

दिनांक- 22.5.2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ई-8	283.50 व. ग. उपविभाजन अनुसार 105.73 व. ग.	एयरपोर्ट एनक्लेव	श्रीमती कुसुमलता शर्मा एवं श्री अभिषेक भारद्वाज	श्री सतीश चन्द्र पुत्र श्री रामरतन	मूल दस्तावेज मूल आवंटी के पास होने के कारण

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

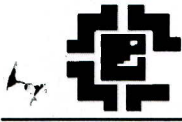
प्रतिलिपी-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-9
जयपुर, जयपुर

उपायुक्त जोन-9
जयपुर, जयपुर

420-R-1000/50
22/5/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा-3/लालकोठी/डी- 428

दिनांक 27/5/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदक द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ए-22	भूखण्ड संख्या ए-22, योजना गोलीमार गार्डन (स्कीम नं. 1)	श्री राधव शर्मा एवं श्री रविन्द्र पाल शर्मा (श्री उत्कर्ष शर्मा मुख्त्यारकर्ता)	श्रीमती सज्जन देवी शर्मा पत्नी श्री ओम प्रकाश शर्मा	आवेदन पत्र, आवंटन पत्र, सदस्य सूची, साईट प्लान, रसीद की छायाप्रतियां, रजिस्टर्ड उपहार-पत्र एवं रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा

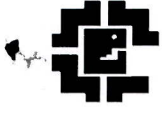

उपायुक्त जोन-3
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।
- उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त भूखण्ड के संबंध में कोई आपत्ति/अनापत्ति प्राप्त होती है, तो जोन कार्यालय को सूचित करें, अन्यथा प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।


उपायुक्त जोन-3
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-493
27.5.22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-5/2022/डी-1457

दिनांक :- 25-5-22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	ऑन लाई आवेदन सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	106402	54	पंचोली विहार	श्री कमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री सत्य नारायण शर्मा	श्रीमती निर्मला शर्मा पत्नी सत्य नारायण शर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपंजीकृत वसीयतनामा
2.	105714	41	भगवती नगर-I	श्रीमती खुशबू जिन्दगर पत्नी श्री साहिल जिन्दगर	श्री नागर मल गोयल पुत्र श्री गोपी कृष्ण गोयल	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपंजीकृत वसीयतनामा
3.	64150	684	शांति नगर	श्रीमती सुमन शर्मा पत्नी स्व. श्री राम किशोर शर्मा	श्री राम किशोर शर्मा पुत्र श्री मोहन शर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजि. हक त्याग त्याग पत्र
4.	106405	411	निर्माण नगर-एबी	श्री उमेश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री रामेश्वर शर्मा	श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा पत्नी श्री रामेश्वर शर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत वसीयतनामा
5.	103938	82 एन	गणेश विहार	श्री श्रीकान्त सोमानी पुत्र श्री रतन लाल सोमानी	श्रीमती सरला देवी सोमानी पत्नी श्री रतन लाल सोमानी	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपंजीकृत वसीयतनामा

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

कमांक:एफ()जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी-1441

दिनांक 27/5/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयनक कमांक	लीजडीधारक का नाम	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
104630 104631 104633	श्री भूरा उर्फ भौरीलाल पुत्र श्री गणेश	ग्राम भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 348 क्षेत्रफल 240 वर्गमीटर, ग्राम भम्भोरिया के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस-386 क्षेत्रफल 360 वर्गमीटर, ग्राम भम्भोरिया के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस-310 क्षेत्रफल 13.50 वर्गमीटर	श्री बाबूलाल, शंकरलाल, राजूलाल पुत्रान स्व. श्री भौरीलाल	मृतक श्री भूरा उर्फ भौरीलाल पुत्र श्री गणेश ग्राम भम्भोरिया के वारिसान द्वारा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन के कारण

उपायुक्त जोन-11
जयपुर, जयपुर-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपि:— जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन-11
जयपुर, जयपुर-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

PR/R-503
30/5/22



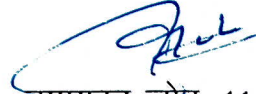
क्रमांक:एफ()जविप्रा/उपा/जोन-11/2021/डी-1446

दिनांक 27/5/22

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक डॉ. अजय बंसल पुत्र श्री कृष्ण लाल बंसल द्वारा श्रीमती विमला बंसल पत्नी श्री के.एल. बंसल व श्री कृष्ण लाल बंसल पुत्र श्री जय भगवान बंसल के मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर निजी खातेदारी आवासीय योजना ओमेक्स सिटी के भूखण्ड संख्या 2519 क्षेत्रफल 166.50 वर्गमीटर का नाम हस्तांतरण जारी करने हेतु इस कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

अतः आवेदक द्वारा अपलोड दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड के नाम हस्तांतरण किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्था एवं अन्य को आपत्ति हो तो यह सूचना जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।


उपायुक्त जैन-11
जविप्रा, जयपुर-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


उपायुक्त जैन-11
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जैन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

PRD/R-1004
30/5/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ() जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी-1444

दिनांक 27/5/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयनक क्रमांक	लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
98166	श्रीमती सुलोचना देवी सरावगी पत्नी श्री सोहन लाल सरावगी	निजी खातेदारी की आवासीय योजना ओमेक्स सिटी के भूखण्ड संख्या 962 क्षेत्रफल 214.50 वर्गमीटर	श्री ललित कुमार सरावगी पुत्र श्री सोहन लाल सरावगी	मृत्यु प्रमाण पत्र, हकत्याग पत्र, शपथ पत्र के आधार पर लीजडीड बाबत
104274	श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री शुभकरण शर्मा	सिद्धी विनायक अफोर्डेबल होम्स लि. के आवास संख्या यू-1/जीएफ/3 एलआईजी	श्रीमती कल्पना पत्नी स्व. श्री सुनील कुमार शर्मा, रावी दाधीच पुत्र स्व. श्री सुनील कुमार शर्मा जरिये संरक्षक माता कल्पना, श्री ऋषिराज दाधीच पुत्र स्व. श्री सुनील कुमार शर्मा,	मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के आधार पर नाम हस्तांतरण बाबत

-54-

उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

PROJ R-505
30/5/22

उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर-11
ज.वि.प्रा., जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक— जविप्रा/जोन-14/2022/डी-2497

दिनांक 30/05/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम
1.	G-254	194.62 व.ग.	श्री मनोज कुमार जैन पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र कुमार जैन, निवासी मकान नं. 414, महावीर नगर, जयपुर	निजी खातेदारी	कनक वाटिका (एफ व जी ब्लॉक) विस्तार का विस्तार
2.	A-98	200 व.ग.	श्रीमती नीता गुप्ता पत्नी श्री संतोष कुमार रावत एवं श्री शिव भगवान पुत्र श्री मदन लाल रावत, निवासी प्लॉट नं. 1, पंजाब नेशनल बैंक के पास, झोटावाडा, जयपुर।	निजी खातेदारी	गोवर्धन विहार
3.	E-115	162 व.मी.	श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव पत्नी स्व. श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव, अनिका श्रीवास्तव पुत्री स्व. श्री बजेश कुमार श्रीवास्तव एवं अदित्य श्रीवास्तव जरिये संरक्षक माता श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव, निवासी 22 शिल्प कॉलोनी, झोटवाडा, जयपुर।	जविप्रा	अभिनव विहार विस्तार

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना के प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

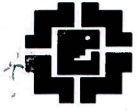
उपायुक्त, जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि—

- जन सम्पर्क (अधिकारी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली

उपायुक्त, जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

PRP/R-506
30/5/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 3081

दिनांक :- 30.5.2022

विज्ञप्ति

प्रार्थी नारायण पुत्र भूवाना हि. 1/3, भौरीलाल, जगदीश पुत्रान पूरा हि. 1/3, तुलसा, नानगा पुत्रान श्रवण हि. 1/3 जाति मीणा निवासी लंगड की ढाणी, खेडा का रामा, चक गैटोर, तहसील सांगानेर, जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर के 24, 25, 26 कुल किता 3 कुल रकबा 1.24 हैक्टेयर भूमि मे स्थित निजी खातेदारी की आवासीय योजना "भुवानापुरी" के आवंटियों को पट्टे जारी करने का निवेदन किया गया है। विकासकर्ता द्वारा योजना का रेरा पंजीकरण करवा लिया गया है - रेरा पंजीयन क्रमांक RAJ/P/2022/1959 दर्ज है। योजना के आवंटियों को सूचित किया जाता है कि योजना की अनुमोदन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और जविप्रा द्वारा पट्टे जारी किये जाने है। आवंटी वांछित दस्तावेजात एवं नियमानुसार आवेदन कर दिनांक 03.06.2022 से पट्टा प्राप्त कर सकते है।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र मे प्रकाशित करावें।
2. प्रभारी अधिकारी, नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की योजना "भुवानापुरी" का दिनांक 03.06.2022 को कैम्प प्रस्तावित किया गया है। अतः नागरिक सेवा केन्द्र मे उक्त योजना से सम्बन्धित पत्रावलियों को प्राप्त कर उसी दिन जोन मे प्रेषित करने की व्यवस्था कराने का श्रम करावें ताकि कैम्प दिवस को आवंटियों को लीजडीड जारी की कार्यवाही की जा सकें।
3. नारायण पुत्र भूवाना, भौरीलाल, जगदीश पुत्रान पूरा, तुलसा, नानगा पुत्रान श्रवण, जाति मीणा निवासी लंगड की ढाणी, खेडा का रामा, चक गैटोर, तहसील सांगानेर, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बन्धित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-4/2022/डी-1043

दिनांक 30/5/2022

विज्ञापित/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञापित प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	6 दक्षिणी भाग	मुक्तानन्द नगर	श्री मुकेश शाह पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार शाह	श्री दिलीप शाह पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार शाह	पंजीकृत उपहार नामा
2	7 उत्तरी भाग	मुक्तानन्द नगर	श्री मुकेश शाह पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार शाह	श्री देवेन्द्र कुमार शाह पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा	पंजीकृत वसीयतनामा
3	एस-145	महावीर नगर	श्री दिनेश रावत पुत्र श्री प्रभु दयाल रावत	श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राजस्वरूप शर्मा	पंजीकृत मूल दस्तावेज खाने बाबत

27.05.22
उपायुक्त जोन-4
ज.वि.प्रा. जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर राज्य स्तरीय समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञापित को जविप्रा की वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें।

27.05.22
उपायुक्त जोन-4
ज.वि.प्रा. जयपुर

27.05.22
R-508
30/5/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2022/डी- 1048

दिनांक 30.5.2022

विज्ञप्ति/ सूचना

आवेदक/आवेदिका द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का पट्टा जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदिका के पक्ष में पट्टा जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना नाम	आवेदिका का नाम	मूल आवंटनधारी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ए-20	जय जवान गृह निर्माण सहकारी की योजना स्कीम नं. 1	श्रीमती सायर देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार सोनी	श्री मुकुट बिहारी खन्ना पुत्र श्री देवी चरण जी खन्ना	समिति द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, साईड प्लान, आधिपत्य कब्जा प्राप्त करने की रसीद, हिस्सा राशि प्रमाण पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा, अपंजीकृत मुख्यारनामा एवं पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर।
2	58ए	किसान गृह निर्माण सहकारी की योजना स्कीम नं. 2	श्री जितेन्द्र उमरानी पुत्र श्री किशन चन्द्र एवं श्रीमती दिव्या उमरानी पत्नी श्री जितेन्द्र उमरानी	श्रीमती शशि खन्ना पत्नी श्री पी. एन. खन्ना	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र एवं समिति द्वारा जारी रसीद की फोटोप्रति, पंजीकृत मुख्यारनामा आम, पंजीकृत विक्रय पत्र एवं ऑनलाईन गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर।

Sd-
उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपी:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करे।

Sd-
उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीवीएम् - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240 : ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-4/2022/डी-1046

दिनांक. 30/5/2022

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. स. स.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	31	हथरोई गढ़ी	शिव शक्ति नगर-बी	श्रीमती अनिता एवं यश	सहलीजधारक श्री गिरधारी लाल रतल लाल, सत्यनारायण पुत्रान स्व. श्री जगदीश प्रसाद	रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दि: 06.12.2021 एवं सहलीधारक श्री गिरधारी लाल ताम्बोली एवं रतनलाल ताम्बोली का मृत्यु प्रमाण पत्र दि: 07.01.2020, 19.06.2016 एवं शपथ पत्र आदि।
2	75	निजी खातेदार	द रॉयल एवेन्यू	श्री गौरव अग्रवाल पुत्र स्व. श्री खेमराज अग्रवाल	लीजधारक का नाम श्री गौरव अग्रवाल पुत्र स्व. श्री खेमराज अग्रवाल, श्री खेमराज अग्रवाल पुत्र श्री कन्हैयालाल अग्रवाल	रजिस्टर्ड हकत्याग दि: 05.04.2022 एवं सहलीधारक श्री खेमराज अग्रवाल पुत्र श्री कन्हैयालाल अग्रवाल का मृत्यु प्रमाण पत्र दि: 09.05.2021 लीजधारक की पत्नी श्रीमती उषा देवी खाटुवाले पत्नी श्री खेमराज का मृत्यु प्रमाण पत्र दि: 16.05.2010 एवं सजरा शपथ पत्र आदि।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

30/5/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी- 778
778
विज्ञप्ति

दिनांक 26-5-22

जविप्रा में निम्न भूखण्डधारी द्वारा अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर विधाधर नगर योजना के ई. डब्ल्यूएस आवासों के नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	आवेदक का नाम/ आवेदित भूखण्ड संख्या	मूल आवंटी का नाम	विक्रय इकरारनामा दिनांक
1	माला देवी पत्नी श्री आसनदास केवलानी, सीएल-61	श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रामावतार अग्रवाल	18.03.2006

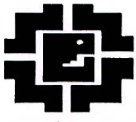
अतः जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदित आवास का नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदिका के पक्ष में निष्पादित कर दी जावेगी। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

उपायुक्त, जोन-2
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर विज्ञप्ति की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उपायुक्त, जोन-2
जविप्रा, जयपुर

PRD/R-511
30/5/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-4188

दिनांक:- 27/5/22

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय:-राजस्व चिमनपुराउर्फढाबकानला, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 271 रकबा 0.1500 हेक्टेयर, 272 रकबा 0.1600 हेक्टेयर, 284 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, 285 रकबा 0.1900 हेक्टेयर किता-04 कुल रकबा 0.6700 हेक्टेयर भूमि फार्म हाउस प्रयोजनार्थ धारा 90ए की लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निजी खातेदारी भूमि राजस्व चिमनपुराउर्फढाबकानला, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 271 रकबा 0.1500 हेक्टेयर, 272 रकबा 0.1600 हेक्टेयर, 284 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, 285 रकबा 0.1900 हेक्टेयर किता-04 कुल रकबा 0.6700 हेक्टेयर भूमि फार्म हाउस प्रयोजनार्थ धारा 90ए की कार्यवाही के लिये जारी लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सलंगन:-लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-मिट्ठू पुत्र चन्दालाल व श्रीमती सँज्यादेवी पत्नि श्री भँवरलाल एवं नाबालिग पुखराज पुत्र श्री चन्दालाल सरंक्षक सरपरस्त माता कुनणा देवी, निवासी-ढाब का नाला, चिमनपुरा, नागल सुसावतान, आमेर जिला-जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-LU2012/JDA/2022-23/101858

81-4788

दिनांक:- 27/5/22

लोक सूचना

मिट्टू पुत्र चन्दालाल व श्रीमती सँज्यादेवी पत्नि श्री भँवरलाल एवं नाबालिग पुखराज पुत्र श्री चन्दालाल संरक्षक सरपरस्त माता कुनणा देवी, निवासी-ढाब का नाला, चिमनपुरा, नागल सुसावतान, आमेर जिला-जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम-चिमनपुराउर्फढाबकानला तहसील-आमेर (जयपुर)	1. नाबालिग पुखराज पुत्र चन्दालाल संरक्षक सरपरस्त माता कुनणादेवी	271	0.1500
2			272	0.1600
3		2. मिट्टू पुत्र चन्दा	284	0.1700
4		1. नाबालिग पुखराज पुत्र चन्दालाल संरक्षक सरपरस्त माता कुनणा देवी हिस्सा 1/4 2. मिट्टू पुत्र चन्दा हिस्सा 1/4 3. सँज्यादेवी पत्नि भँवरलाल हिस्सा 1/2	285	0.1900
			किता-4	0.6700

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 27/5/22 को जारी की गयी।

27
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2021-22/101631-531

दिनांक: 16/03/2022

लोक सूचना

श्री KRISHAN PRAKASH KHANDELWAL पुत्र श्री OM PRAKESH जाति KHANDELWAL निवासी 668 JANPATH LANE NO 9 RANI SATI NAGAR AJMER ROAD JAIPUR

श्रीमति SUNITA AGARWAL पुत्री श्री MOHAN LAL AGARWAL जाति AGARWAL निवासी 5 KHA 21 JAWAHAR NAGAR JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	लालरपुरा, जयपुर (जयपुर)	SUNITA AGARWAL AND KRISHAN PRAKESH KHANDELWAL	202/18	660	0.066
2.	लालरपुरा, जयपुर (जयपुर)	SUNITA AGARWAL AND KRISHAN PRAKESH KHANDELWAL	205/17	1613	0.1613
3.	लालरपुरा, जयपुर (जयपुर)	SUNITA AGARWAL AND KRISHAN PRAKESH KHANDELWAL	207/19	2063	0.2063
4.	लालरपुरा, जयपुर (जयपुर)	SUNITA AGARWAL AND KRISHAN PRAKESH KHANDELWAL	209/20	1068	0.1068
कुल					0.5404

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 16-03-2022 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-07
उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर